न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस**अपील संख्या एल आर ए/ 46/2015**

**उनवान**

1. गोकल पिता राधाकिशन खटीक निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 05/2015 निर्णय दिनांक 24.3.2015 एवं तहसीलदार, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 420/2014 निर्णय दिनांक 11.11.2014

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिजौलियाकलॉ ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी गोकल पिता राधाकिशन खटीक निवासी बिजौलिया ने ग्राम बिजौलिया कलॉ की आराजी खसरा नम्बर 710 कुल रकबा 0.12 किस्म गैर मुमकिन नाला में सम्पूर्ण रकबे पर संवत 2071 में अतिक्रमण किया है। विपक्षी को पूर्व में मिसल नम्बर 107/2013 द्वारा पूर्व में बेदखल किया गया है । अतः

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण तहसीलदार , बिजौलिया ने अप्रार्थी गोकल पिता राधाकिशन खटीक निवासी बिजौलिया ने ग्राम बिजौलिया कलॉ की आराजी खसरा नम्बर 710 कुल रकबा 0.12 किस्म गैर मुमकिन नाला में सम्पूर्ण रकडे पर संवत 2071 में अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2014 द्वारा लगान का पचास गुणा 50/—रूपये के अर्थदण्ड तथा 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.3.2015 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गत वर्ष की कार्यवाही के आधार पर ही अपीलाधीन प्रकरण संस्थित कर दिया जबकि मौके पर अपीलाथी का कोई कब्जा नहीं है। मौके पर जमीन खाली पडी है। अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। पटवारी हल्का ने मौका पर्चा मौके पर जाकर नहीं बनाया है। पटवारी हल्का ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रिपोर्ट बनाई है। जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी को दण्डित किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय ने भी गुणावगुण पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दी। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जावे ।

4. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अपीलार्थी के विरूद्ध पश्चावर्ती अतिचार करने का आरोप प्रमाणित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

5. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाण्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचार होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होकर भूमि खाली पडी है।

6. इस संबंध में न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 17.12.2018 को तहसीलदार बिजौलिया द्वारा प्रेषित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार आराजी नम्बर 710 किस्म गैर मुमकिन नाला मौके पर खुला है लेकिन आराजी नम्बर 705 गैर मुमकिन नाला जो आराजी नम्बर 710 से मिलता है, वह आराजी नम्बर 714 गैर मुमकिन नाला से मिलता है । वहॉ पत्थर की कच्ची कोट करके नाले को बन्द कर रखा है। जो गोकल पिता राधाकिशन व गोपीलाल भट्ट पिता मोहन भट्ट ने कर रखा है। रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि अपीलार्थी आदतन अतिक्रमी है । ऐसे में अपीलार्थी को किसी प्रकार की रिलीफ देना अतिक्रमण को बढावा देगा।

7. पटवारी हल्का द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को मिसल संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

107/2013 से भी पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किये जाने से बेदखल किया गया है। अपीलार्थी अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.3.2015 एवं तहसीलदार बिजौलिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2014 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

10/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा